23/2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांकः– 15.05.2024

23/2024

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

कैलासहाय पुत्र किशोरी जाति मीना निवासी रंगलाल का पुरा टोडाभीम तहसील टोडाभीम
(सायलान)

बनाम

गिर्राज पुत्र किशोरी मीना
छुट्टन पुत्र किशोरी मीना
विश्राम पुत्र किशोरी मीना
निवासीयान रंगलाल का पुरा 11 बिस्वा टोडाभीम तहसील टोडाभीम।
(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थितिः– श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट सायल
श्री सुरेश चन्द शर्मा गैरसायलान

निर्णय दिनांक 28.04.2025

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ीम 11 बिस्वा की आराजीयात ख0न0 1771/0.15, 1772/1.54, 1781/0.16, 1782/0.61, /0.20, 1790/0.41, 1791/0.02, 1792/0.71, 1793/0.69, 1794/0.06, 1796/0.12, 1797/0. 2800/0.22, 2801/0.19, 2809/0.87, 2810/0.60, 3482/0.50, 3455/0.31, 3524/0.02, /0.05, 3526/0.07, 3530/0.63, 3539/0.16, 3553/0.03, 3554/0.86, 3559/0.01, 3560/0. 615/0.43, 3700/0.71 कुल किता 29 कुल रकवा 10.99 है0 मे सायल बहिस्सा 1/4, गैरसायलान ता 3 प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है।

उक्त वर्णित आराजीयात सायल व गैरसायल न0 1 ता 3 को अपने पिता किशोरी से त मे प्राप्त हुई है, जिसका सायल एवं गैरसायल न0 1 ता 3 द्वारा मौके पर अपने–अपने हिस्से की ी को काश्त करते चले आ रहे है। जिससे सायल, गैरसायल न0 1 ता 3 को कभी कोई परेशानी पैदा हुई। चुकि सायल दिल्ली स्थित राजकीय पद पर था और सर्विस करता था जिस कारण अपने हिस्से मीन को अपने भाईयो को आधे बटाई पर काश्त करने हेतु दे रखी थी, लेकिन जब सायल राजकीय से सेवानिवृत्त होकर अपने गांव वापिस आया और अपने हिस्से की भूमि को स्वंय ही सन 2020 से करने लग गया, जिसमे सायल को कभी परेशानी नही आई तथा भूमि ख0न0 3530, 3554, 2809, 3539, 1783, 1772 जो सडक के सहारे है जिस पर सायल एवं गैरसायल न0 1 ता 3 का सडक बराबर का कब्जा है और चारो भाईयो ने रोड के सहारे वाली भूमि पर बराबर का कब्जा कर रखा है, न ख0न0 1772 जिसका रकवा 1.54 है0 है के सम्पूर्ण भाग पर गैरसायल न0 1 जबरन कब्जा करना ा है तथा रोड के सहारे वाली भूमि को अकेला हडपना चाहता है जबकि उक्त भमि व अन्य भूमि जो के सहारे है पर चारो भाईयो का कब्जा है, लेकिन गैरसायल न0 1 जबरन सडक सहारे भूमि को े लेना चाहता है, जबकि कानूनन पैतृक भूमि मे सभी भाईयो का विधिवत बटवारा होना चाहिये लेकिन ायल उक्त भूमि को हडपने के लिये आये दिन विवाद करते रहते है और डोल मेड तोडकर पुख्ता ण भी करना चाहते है, जिसका गैरसायलान को कानूनन कोई अधिकार नही है।

वाका दिनांक 09.05.2024 को सायल अपने हिस्से व कब्जे की भूमि तथा सडक के वाली जमीन मे आगामी फसल की बुवाई हेतु [illegible] था कि मौके ैरसायलान आये और बोले कि हम तुम्हे सडक सहारे वाली जमीन [illegible] पास कोई हिस्सा नही तो सायल ने कहा कि भाईयो सडक के पास [illegible] मे चलकर ारा करा लेते है लेकिन गैरसायल न0 1 नाराज होकर बोला कि मै [illegible] के सहारे की समस्त भूमि लूगा, क्योकि ख0न0 1772 जो मौके की भूमि है उसमे मे अकेला ही [illegible] नाम कराऊँगा और तुम्हे न नही दूंगा, इस प्रकार गैरसायल न0 1 ख0न0 1772 मे जबरन पुख्ता निर्माण करने पर आमदा है गैरसायल न0 1 द्वारा विधिवत बटवारा कराने से भी इन्कार कर दिया इसलिये यह प्रार्थना पत्र अस्थाई ाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:28:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय का सिद्धान्त भी सायलान के पक्ष मे है अरथाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति प्रकार की नही है। जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो ी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नही है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया र गैरसायलान को ता दावा फैसला पाबन्द फरमाया जावे कि वे टोडाभीम 11 बिस्वा की आराजीयात 0 1771/0.15, 1772/1.54, 1781/0.16, 1782/0.61, 1783/0.20, 1790/0.41, 1791/0.02, /0.71, 1793/0.69, 1794/0.06, 1796/0.12, 1797/0.61, 2800/0.22, 2801/0.19, 2809/0. 2810/0.60, 3482/0.50, 3455/0.31, 3524/0.02, 3525/0.05, 3526/0.07, 3530/0.63, /0.16, 3553/0.03, 3554/0.86, 3559/0.01, 3560/0.05, 3615/0.43, 3700/0.71 कुल किता कुल रकबा 10.99 है0 मे सायल के हिस्से व कब्जे काश्त की आरजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे, किसी अन्य से करावे, किसी प्रकार का निर्माण नही करे, तथा रिकार्ड व मौके की स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। यलान न0 2 व 3 प्रथम नियत पेशी पर उपस्थित होकर आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये लेकिन मी नियत पेशी पर न्यायालय द्वारा बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद अनुपस्थित न्यायालय से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल न0 1 ने जरिये वकालतन जवाब पेश किया प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात कुल किता 29 कुल रकबा 10.99 है0 मे गैरसायल न0 1 बहिस्सा का खातेदार काश्तकार [illegible] रिकार्ड है। सायल व गैरसायलान का चालीसो साल से बटवारा होने के । से [illegible] ख0न0 1772 मे सायल ने अपने हिस्से मे पुख्ता मकान बना रखा है सायल न0 1 [illegible] आधार पर आयी आराजी पर काबिज है उक्त आराजी के लगवा सडक ल रही है तो सायल [illegible] दयानित आ गयी है और वे गैरसायल न0 1 के हिस्से की आराजी को ना चाहते है इसलिए गलत तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। वर्णित आराजीयात पर सायल न0 1 का [illegible] 1/4 हिस्से की कब्जे काश्त का इल्म सायल को भली भांति रहा है इस बिना प्रार्थना पत्र चलने [illegible] नही खारिज होने योग्य है। सायल व गैरसायल के मध्य बाहमी ब्टवारा हो रहा था गैरसायल सहखातेदार है तथा सह खातेदार को पाबन्द फरमाया जाना किसी भी प्रकार न्यायसंगत है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई, सायल वकील ने ना पत्र मे वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात कुल ा 29 कुल रकबा 10.99 है0 सायल व गैरसायल न0 1 ता 3 को अपने पिता किशोरी से विरासत मे हुई है, जिसका सायल एवं गैरसायल न0 1 ता 3 द्वारा मौके पर अपने–अपने हिस्से की आराजी को त करते चले आ रहे है। सायल दिल्ली स्थित राजकीय पद पर था और सर्विस करता था जिस कारण ने हिस्से की जमीन को अपने भाईयों को आधे बटाई पर काश्त करने हेतु दे रखी थी, लेकिन जब ल राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होकर अपने गांव वापिस आया और अपने हिस्से की भूमि को स्वंय ही 2020 से काश्त करने लग गया भूमि ख0न0 3530, 3554, 2809, 2810, 3539, 1783, 1772 जो सडक सहारे है जिस पर सायल एवं गैरसायल न0 1 ता 3 का सडक सहारे बराबर का कब्जा है और चारो ियो ने रोड के सहारे वाली भूमि पर बराबर का कब्जा कर रखा है, लेकिन ख0न0 1772 जिसका रकबा 4 है0 के सम्पूर्ण भाग पर गैरसायल न0 1 जबरन कब्जा करना चाहता है तथा रोड के सहारे वाली भूमि अकेला हडपना चाहता है जबकि उक्त भूमि व अन्य भूमि जो सडक के सहारे है पर चारो भाईयो का जा है, लेकिन गैरसायल न0 1 ज़बरन सडक सहारे भूमि को अकेले लेना चाहता है, जबकि कानूनन क भूमि मे सभी भाईयो का विधिवत बटवारा होना चाहिये लेकिन गैरसायल उक्त भूमि को हडपने के वे आये दिन विवाद करते रहते है और डोल मेड तोडकर पुख्ता निर्माण भी करना चाहते है, प्रार्थना पत्र कार फरमाया जाकर गैरसायलान को ता दावा फैसला पाबन्द फरमाया जावे कि वे वर्णित आराजीयात त किता 29 कुल रकबा 10.99 है0 मे सायल के हिस्से व कब्जे काश्त की आरजी मे मजाहमत ाखलत नही करे, नाही किसी अन्य से करावे, किसी प्रकार का निर्माण नही करे, तथा रिकार्ड व मौके की थिति बनाये रखे।

गैरसायल न0 1 के वकील ने अपनी बहस मे जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का हरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात कुल किता 29 कुल रकबा 10.99 है0 गैरसायल न0 1 बहिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। सायल व गैरसायलान का

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:28:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ोसो साल से बटवारा होने के समय से काबिज चले आ रहे है ख0न0 1772 मे सायल ने अपने हिस्से ख्ता मकान बना रखा है गैरसायल न0 1 बांहमी बटवारे के आधार पर आयी आराजी पर काबिज है आराजी के लगवा सडक निकल रही है तो सायल के मन मे ब दयान्ति आ गयी है और वे गैरसायल 1 के हिस्से की आराजी को छीनना चाहते है इसलिये गलत तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश ा है। वर्णित आराजीयात पर गैरसायल न0 1 का अपने 1/4 हिस्से की कब्जे काश्त का इल्म सायल भली भांती रहा है इस बिना पर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही खारिज होने योग्य है। सायल व ायल के मध्य बाहमी ब्टवारा हो रहा है तथा गैरसायल सहखातेदार है तथा सह खातेदार को पाबन्द ाया जाना किसी भी प्रकार न्यायसंगत नही है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया ।

सायलान वकील बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः–** पत्रावली मे शामिल ग्राम टोडाभीम 11 बिस्वा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता न0 884 मे वर्णित कुल किता 29 कुल रकवा 10.99 है0 मे सायल व गैरसायलान 1 ता 3 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। गैरसायल न0 2 व 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई, पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी अनुसार सायल व गैरसायलान 1 ता 3 हि.ब. के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। सायल ने बांका दिनांक 09.05.2025 की घटना मे केवल ख0न0 1772 का उल्लेख किया है, सायल ने पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नही किया है जिससे ख0न0 1772 पर साबित होता हो। सायल द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दावा तकास्मे का पेश किया है जिसमे सायल व गैरसायलान का मोके अनुसार कब्जे का निर्धारण किया जाना है। गैरसायलान सहखातेदार होने से गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। इसलिये उक्त विवेचन व गैरसायलान सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित नही है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी के आधार पर गैरसायलान सहखातेदार होने से तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित नही होने से सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे साबित नही है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे यदि गैरसायल को पाबन्द किया जाता है तो गैरसायल को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। सायल द्वारा स्वंय को अपूर्तनीय क्षति हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नही किये जाने से अपूर्तनीय क्षति का सिद्वान्त भी गैरसायल के पक्ष मे साबित है।

आदेश

उक्त तीनो बिन्दु सायल के पक्ष मे साबित नही होने से सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ाकार नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:28:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अ... सहायक कलक्टर